

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936

No. 498]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 686 (अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 9 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में तीसरे कॉलम में कॉलम के शीर्ष "अधिकारिता क्षेत्र" के अंतर्गत,-

(i) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै संख्या 1 से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:—

"तमिलनाडु के मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, विरुद्धनगर, शिवगंगा, रामनंद, थेनी, त्रिची तथा डिंडिगुल जिले;"

(ii) ऋण वसूली अधिकरण-I, चेन्नै से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:—

"एगमोर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र – चेन्नै के नंगम्बक्कम तालुक की सीमा;"

(iii) ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नै से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"फोर्ट टोंडियारपेट, मम्बलम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र – चेन्नै के गुंडी एवं माइलापोर-ट्रिपलीकेन तालुक की सीमा;"

(iv) ऋण वसूली अधिकरण-III, चेन्नै से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"चेन्नै के पेरंबूर-पुरसवालकम तालुक की सीमा तथा तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवलूर, वेल्लोर, विल्लूपुरम, कुड्डालोर, तिरुवनामाली, पुदुकोटाई, तंजावुर, नागापट्टीनम, पेरम्बलूर, कृष्णागिरी तथा धर्मपुरी जिले तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र;"

(v) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"तमिलनाडु के कोयम्बतूर, तिरुपुर, नीलगिरी, इरोड, सेलम, नामकूल तथा करूर जिले।"

[फा. सं. 9/9/2012-डीआरटी (पार्ट)]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 15(अ.), 9 जनवरी, 2007 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2014

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs notification number G.S.R. 15 (E), dated the 9th January, 2007, namely:—

In the said notification, in the Table, in third column, under column heading "Area of Jurisdiction", —

- (i) against serial number 1 relating to Debts Recovery Tribunal, Madurai, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—
"Districts of Madurai, Kanyakumari, Tirunelveli, Tuticorin, Virudhunagar, Sivganga, Ramnad, Theni, Trichy, and Dindigul of Tamil Nadu."
- (ii) against serial number 2 relating to Debts Recovery Tribunal - I, Chennai, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—
"Areas under Egmore – Nungambakkam Taluk limits of Chennai";
- (iii) against serial number 3 relating to Debts Recovery Tribunal - II, Chennai, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“Areas under Fort Tondiarpet, Mambalam – Guindy and Mylapore- Triplicane Taluk limits of Chennai”;

- (iv) against serial number 4 relating to Debts Recovery Tribunal - III, Chennai, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“Areas under Perambur- Puraswalkam Taluk Limits of Chennai and Districts of Kanchipuram, Tiruvallur, Vellore, Villupuram, Cuddalore, Tiruvannamali, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam, Perambalur, Krishnagiri and Dharampuri of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry”;

- (v) against serial number 5 relating to Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“Districts of Coimbatore, Tirupur, Nilgiris, Erode, Salem, Namakkal and Karur of Tamil Nadu”.

[F. No. 9/9/2012-DRT (Part)]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* number G.S.R. 15 (E), dated the 9th January, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 687(अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993(1993 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 7 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 884(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में तीसरे कॉलम में कॉलम के शीर्ष "अधिकारिता क्षेत्र" के अंतर्गत,—

- (i) मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:—

"मुम्बई नगर निगम द्वारा यथा परिभाषित कोलाबा को छोड़कर 'ए' वार्ड का नगर क्षेत्र;"

- (ii) मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:—

"मुम्बई नगर निगम द्वारा यथा परिभाषित ग्रेटर बाम्बे, कोलाबा तथा नासिक जिले के अर्ध-शहरी तथा विस्तारित अर्ध-शहरी क्षेत्र को छोड़कर 'ए' वार्ड में नरीमन प्वाइंट;"

- (iii) मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 3 से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:—

"मुम्बई नगर निगम द्वारा यथा परिभाषित 'एच' वार्ड से 'टी' वार्ड का क्षेत्र मुम्बई के अन्य क्षेत्र, जिसे मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 तथा मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 के द्वारा कवर नहीं किया गया है और ठाणे जिले तथा गोवा राज्य;"

(iv) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः—

"महाराष्ट्र राज्य में पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़, रत्नागिरी तथा सिंधुदुर्ग जिले तथा मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1, मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 तथा मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 3, ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद तथा ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में शामिल न किए गए महाराष्ट्र के अन्य जिले।"

[फा. सं. 9/9/2012-डीआरटी (पार्ट)]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 884(अ), 7 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2014

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs notification number G.S.R. 884 (E), dated the 7th December, 2001, namely :—

In the said notification, in the Table, in third column, under column heading "Area of Jurisdiction",—

(i) against serial number 1 relating to Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 1, for the entries, the following entries shall substitute, namely :—

"City Area of 'A' Ward as defined by Mumbai Municipal Corporation except Colaba";

(ii) against serial number 2 relating to Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 2, for the entries, the following entries shall substitute, namely :—

"Nariman point in 'A' Ward as defined by Mumbai Municipal Corporation excluding the suburban and extended suburban area of Greater Bombay, Colaba and District of Nashik";

(iii) against serial Number 3 relating to Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 3, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

"Area of 'H' Ward to 'T' Ward as defined by Mumbai Municipal Corporation, and other areas of Mumbai not covered by Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 1 and Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 2, District of Thane and State of Goa";

(iv) against serial Number 6 relating to Debts Recovery Tribunal, Pune, for the entries, the following entries shall substitute, namely :—

"Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Solapur, Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg Districts in Maharashtra State and other Districts of Maharashtra not included in Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 1,

Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 2, Mumbai Debts Recovery Tribunal No. 3, Debts Recovery Tribunal, Aurangabad and Debts Recovery Tribunal, Nagpur”.

[F. No. 9/9/2012-DRT (Part)]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* number G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 688(अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993(1993 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 6 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में तीसरे कॉलम में कॉलम के शीर्ष "अधिकारिता क्षेत्र" के अंतर्गत,—

(i) कोलकाता ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"कोलकाता नगर में निम्नलिखित थाने के क्षेत्र शामिल हैं; हारे स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, शैक्सपीयर सरणी, बाँउबाजार, मुचिपाडा, तालतोला, हेस्टिंग, नार्थ पोस्ट तथा पश्चिम बंगाल के हावड़ा एवं हुगली जिले;"

(ii) कोलकाता ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

" पश्चिम बंगाल के सभी जिले (कोलकाता नगर, हावड़ा, हुगली, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना जिले को छोड़कर) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह;"

(iii) कोलकाता ऋण वसूली अधिकरण संख्या 3 से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"कोलकाता नगर में निम्नलिखित थाने के क्षेत्र शामिल हैं; श्यामपुकुर, जोरबागान, बरतोला, बड़ाबाजार, पोस्ता, जोरासांको, अमहर्स्ट स्ट्रीट तथा कोलकाता नगर में भविष्य में बनाए जाने वाले अन्य थाने और पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना जिले।"

[फा. सं. 9/9/2012-डीआरटी (पार्ट)]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 84(अ), 6 फरवरी, 2002 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2014

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs notification number G.S.R. 84 (E), dated the 6th February, 2002, namely:—

In the said notification, in the Table, in third column, under column heading “Area of Jurisdiction”, —

- (i) against serial number 1 relating to Kolkata Debts Recovery Tribunal No. 1, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“Kolkata city covering the areas of the following police stations:-Hare Street, Park Street, Shakespeare Sarani, Bowbazar, Muchipara, Taltolla, Hastings, North post and Districts of Howrah and Hooghly of West Bengal”;
- (ii) against serial number 2 relating to Kolkata Debts Recovery Tribunal No. 2, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“All Districts of West Bengal (except Kolkata City, Districts of Howrah, Hooghly, North and South 24 Paraganas) and Andaman and Nicobar Islands”;
- (iii) against serial number 3 relating to Kolkata Debts Recovery Tribunal No. 3, for the entries, the following entries shall substitute, namely:—

“Kolkata city covering the areas of the following police stations: -Shyampukur, Jorabagan, Burtolla, Burrabazar, Posta, Jorasanko, Amherst Street and area of any other Police Station which may be created in future in Kolkata City and Districts of North and South 24 Paraganas of West Bengal”.

[F. No. 9/9/2012-DRT (Part)]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published vide number G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 2002.